कृषि क्षेत्र में 'लैब टू लैंड' दृष्टिकोण

—धुरजती मुखर्जी

करीब 20,000 चुने हुए गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य वास्तव में वर्तमान सरकार द्वारा हाल ही में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्हें कृषि क्षेत्र की समस्याएं भलीभांति मालूम हैं जोकि उनके फैसले से स्पष्ट होता है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु लंबा सफर तय करने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। पौधों में बीमारियों की समस्या, खाद और रसायन की उचित मात्रा, कीड़ों के प्रकोप से पौधों की सुरक्षा इत्यादि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और मार्गदर्शन से किया जा सकता है। जाहिर है इस तरह के मार्गदर्शन का अधिकतम लाभ उन छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को होगा जोकि पर्याप्त जागरूक नहीं हैं, उन्हें इस मार्गदर्शन की विशेष जरूरत होगी।

सरकार द्वारा शुरू किए गए पुनरुद्धार कार्यों से भारतीय कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। भारत निसंदेह सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश भी (200 मिलियन टन से भी अधिक)। साथ ही फल और सब्जियां (150 मिलियन टन), दूध (91 मिलियन टन) और गन्ने का उत्पादन भी होता है। यह संतोषजनक है लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पौष्टिक आहार और कुपोषण देश की गंभीर समस्याओं में से हैं जोकि इस देश की खराब छवि पेश करता है। हालांकि यह भी ध्यान में रखते हुए विचार करने की जरूरत है कि भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या विस्फोट को देखते हुए खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग महंगाई की वजह से फलों की निरंतर खरीदारी

कर सकने में सक्षम नहीं होते। जहां तक दूध का सवाल है तो गरीब तबकों में कुछ ऐसे हैं जिनके परिवार के लिए तो यह उपलब्ध ही नहीं होता। हां, बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि चावल और गेहूं का उत्पादन काफी अधिक है लेकिन वहां भी उत्पादन में और वृद्धि की जरूरत है।

एक अग्रिम लक्ष्य में कृषि मंत्रालय ने मौजूदा वर्ष में 12.4 करोड़ टन खरीफ फसल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है जोकि गत वर्ष के मुकाबले 60 लाख टन कम और किसी भी पिछले तीन वर्ष के मुकाबले कम है। इसी तरह अनाज उत्पादन का लक्ष्य जोकि 11.8 करोड़ टन है, वह पिछले तीन सालों के मुकाबले 50 लाख टन कम है; और 5.6 मिलियन टन दाल के औसत उत्पादन का लक्ष्य भी पिछले तीन सालों के मुकाबले आधा मिलियन टन कम है।

खरीफ की पिछली दो फसलें कमजोर मानसून की भेंट चढ़ गई जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भारी और असामयिक बारिश के चलते रबी की फसलें बर्बाद हो गईं। अब कृषि वैज्ञानिकों की राय है कि इस बार सर्दियों के मौसम में आई उष्णता से खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। मौसम में इसी तरह उष्णता और रुखापन रहा तो उत्तर प्रदेश में भी गेहूं और चने का फूलना और पकना प्रभावित हो सकता है। यही हाल राजस्थान का रहने वाला है। आशंका है कि वर्ष 2016 के ग्रीष्मकाल में देश चावल की कमी से जूझ सकता है लेकिन कुछ सकारात्मक उपाय इस संकट से उबरने में मदद कर सकते हैं। हालांकि मुश्किल हालात आने पर सरकार कुछ चावल आयात भी कर सकती है।

नैरोबी में हाल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई, जहां भारत ने करीब 50 विकासशील देशों के एक समूह का नेतृत्व किया। इस बैठक में अमीर देशों द्वारा कृषि उत्पादन के लिए खाद्य और कृषि सब्सिडी को खत्म किए जाने के प्रयासों और खुले घरेलू बाजार के मुद्दे पर चर्चा हुई। यह भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि देशों के लिए असंभव है कि वह अपनी सब्सिडी और आयात शुल्क को कम करें ताकि पश्चिम के कृषि उत्पाद यहां के बाजारों में आसानी से घुसपैठ कर सकें। यह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए क्योंकि हमारे किसानों की आजीविका उनके लघु उद्यमों पर निर्भर रहती है। हमारे वाणिज्य मंत्री ने भी इसे वाजिब तौर पर दोहराया था।

कुछ सालों में तकनीकी ने उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में बड़ी सहायता प्रदान की है लेकिन इसे ध्यानपूर्वक सहेजने की आवश्यकता है। बहुचर्चित हरितक्रांति उत्तर भारत के दो राज्यों तक ही सीमित थी। देश के पूर्वी राज्यों को इसमें शामिल करने के लिए पिछले दशक या उससे भी अधिक समय से कृषि विशेषज्ञों द्वारा द्वितीय हरितक्रांति की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है, क्योंकि इन राज्यों में फिलहाल राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय–स्तर के मुकाबले उत्पादकता काफी कम है।

'लैब टू लैंड' दृष्टिकोण पिछले दो दशक या उससे भी ज्यादा समय से हवा में रहा है, लेकिन अब लगता है कि सरकार इसे वास्तविक तौर पर लागू करने में गंभीर रूचि दिखा रही है। पिछले साल अक्टूबर में ही यह समझा गया कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए 20 हजार कृषि वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी। इस नये आदेश का विस्तार भी कर दिया गया है जिसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न केंद्रों में करीब 6,000 वैज्ञानिक कार्य निष्पादन कर रहे हैं वहीं 15,000 वैज्ञानिक राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन हाल ही शुरू किए गए 'मेरा गांव मेरा गौरव' कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे हैं। इस योजना में वैज्ञानिकों के लिए यह प्रावधान रखा गया है कि वे अपनी सुविधा के मुताबिक गांवों का चयन करें और उन गांवों के साथ संपर्क साधते रहें तथा व्यक्तिगत यात्राओं के जरिए या फिर टेलीफोन द्वारा एक निश्चित समय पर किसानों को तकनीकी और अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहें।

यह समझा जा चुका है कि चार बहु–विषयक वैज्ञानिक समूहों में से प्रत्येक समूह को इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों में गठित किया जाना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कृषि विकास केंद्रों (केवीके)

और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) की मदद से कार्य निष्पादन किया जाएगा क्योंकि दोनों को कार्य विस्तार का आदेश दिया जा चुका है। राष्ट्रीय–स्तर पर सहायक महानिदेशक (विस्तार) और आईसीएआर के कृषि विस्तार के प्रमुख वैज्ञानिक नोडल अधिकारी होंगे।

कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के एक वर्ग का कथित तौर पर कहना है कि अगर विस्तार कार्य पर ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया तो इससे अनुसंधान कार्य पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसका यह जवाब है कि अगर अनुसंधान जमीनी–स्तर पर नहीं स्थानांतरित किया जा सका और अगर छोटे किसानों को लाभ नहीं मिला तो इस तरह के शैक्षिक अनुसंधान कार्य का या तो मामूली महत्व रह जाएगा या फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। वैसे यह भी एक तथ्य है कि शोधकर्ता समाधान को लागू करने, जमीनी समस्याओं को देखने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषक समुदाय की सहायता करने के लिए खुद से आगे नहीं आते।

करीब 20,000 चुने हुए गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य वास्तव में वर्तमान सरकार द्वारा हाल ही में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्हें कृषि क्षेत्र की समस्याएं भलीभांति मालूम हैं जोकि उनके फैसले से स्पष्ट होता है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु लंबा सफर तय करने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। पौधों में बीमारियों की समस्या, खाद और रसायन की उचित मात्रा, कीड़ों के प्रकोप से पौधों की सुरक्षा इत्यादि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और मार्गदर्शन से किया जा सकता है। जाहिर है इस तरह के मार्गदर्शन का अधिकतम लाभ उन छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को होगा जोकि पर्याप्त योग्य नहीं हैं, उन्हें इस मार्गदर्शन की विशेष जरूरत होगी।

अगर आईसीएआर के 2000–3000 वैज्ञानिकों तथा अन्य राज्यों के संस्थानों व विश्वविद्यालयों के 7000–8000 वैज्ञानिकों का सहयोग एक साथ मिले तो निस्संदेह देश के किसान वर्ग को अहम सहायता मिल सकेगी। जैसाकि सर्वज्ञात है किसान विकास केंद्रों से ज्यादा मदद नहीं हो रही है और अधिकांश क्षेत्रों में यह लगभग समाप्त हो चुका है। इस प्रकार इस तरह के प्रयास से ज्यादातर वे किसान, जो वर्तमान में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अनेक तरह के अप्रत्याशित लाभ का परिणाम मिलने की उम्मीद है।

इस तरह के प्रयास से उन गांवों में प्रौद्योगिकी लगाने में मदद मिलेगी जहां उत्पादकता का स्तर काफी कमजोर है, और जिन्हें बढ़ाए जाने की जरूरत है। इससे फसल खराब हो जाने पर कोई हल निकाला जा सकता है। साथ ही सूखे और बाढ़ के बाद के प्रभाव से भी निपटा जा सकता है। आईआईटी भी गांवों में कुछ कार्य कर रही है और तकनीकी लगा रही है ताकि ना केवल कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में बल्कि इस क्षेत्र की अन्य निर्माण गतिविधियों में भी सकारात्मक बदलाव आ सके।

इसके अलावा सरकार ने 8800 करोड़ रुपये की एक नई फसल बीमा योजना की घोषणा की है जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMSBY) कहा गया है। यह प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल के नुकसान की भरपाई करने हेतु किसानों के लिए काफी कम प्रीमियम वाला बीमा है। इस योजना के मुताबिक किसानों को खरीफ/खाद्यान्न/तिलहन उत्पादन की कुल बीमा राशि का महज 2 प्रतिशत भुगतान करना होगा और रबी की फसलों के लिए कुल बीमा राशि का 1.5 प्रतिशत भुगतान करना होगा। वास्तव में यह उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के मकसद से बहुत ही विवेकसम्मत कार्यक्रम है।

यह समय स्थिर फसल देने का है, दलहन के उत्पादन को भी काफी बढ़ाया जाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है, खासतौर पर भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों के गरीब तबकों की मांग को लेकर यहां विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष का लक्ष्य जनता के बीच स्थायी खाद्य सुरक्षा और पोषण के हिस्से के रूप में दालों की पौष्टिकता संबंधी लाभों को लेकर जागरुकता बढ़ाना

है। भारत सरकार को खाद्य श्रृंखला के द्वारा दलहन के बेहतर उपयोग आधारित प्रोटीन और दलहन की उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करने का अवसर हासिल करना चाहिए। हमारे जैसे देश में, जहां महिलाओं और बच्चों में बड़े पैमाने पर पौष्टिकता की कमी रहती है, वहां दालों को बढ़ावा देने के लिए उसे सस्ती करने और उसे प्रोटीन के लिए महत्वपूर्ण और पौष्टिक बनाने की जरूरत है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दलहन किसानों को गांव की गरीबी से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है, वे अनाज की तुलना में दो से तीन गुना अधिक कीमतों की उपज कर सकते हैं। इस तरह इसका प्रसंस्करण उन्हें अतिरिक्त आर्थिक अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की टिप्पणी का उल्लेख करना उचित होगा कि भूख, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के लिए दलहन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें सरकारी पहल को भी जोड़ने की जरूरत है खासतौर पर हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई फसल बीमा योजना में, जिसमें दो साल के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत किसानों को शामिल किया जाना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी हाल ही में अपने 'मन की बात प्रोग्राम में इस योजना से लाभ का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें किसानों को बहुत ही मामूली प्रीमियम देना होगा। इससे किसान समुदायों के बीच निस्संदेह आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विविध उत्पादनों के जरिए उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सदस्य देशों से अपील की है कि वे साल 2025 तक 'जीरो हंगर' स्टेटस को हासिल करें। जैसाकि भारत में करीब 30 करोड़ की आबादी भूख से पीड़ित है, वहां अगले दस सालों में कुपोषित बच्चों की आबादी 30 फीसदी से 0 फीसदी तक लाने के लिए योजना व रणनीति बनाना वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन प्रगति की वर्तमान गति के साथ अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ध्यान केंद्रित किया जाए तो इसे प्राप्त किया जा सकता है।

आज भारत जिस मोड़ कर खड़ा है वहां परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना अत्यंत जरूरी है। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को व्यावहारिक बनाने की जरूरत है और सरकार के ईमानदार प्रयास से निर्यात में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस संबंध में कृषि आधारित उद्योग देश और विदेश दोनों ही जगह काफी लाभकारी हो सकते हैं अगर इनकी उचित तरीके से मार्केटिंग की जाए। हाल ही में सरकार ने भी खादी एवं हथकरघा उद्योग पर जोर देने के लिए 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत की है, यह काफी नया है और युवा पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने वाला है। वर्तमान सरकार का यह दृष्टिकोण काफी गंभीर और सकारात्मक प्रतीत होता है लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन की नजदीकी से निगरानी की जरूरत है तब इसके परिणाम जल्दी देखने को मिलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आम आदमी की आजीविका के विकास और देश की आर्थिक तरक्की नहीं, बल्कि इसका सारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने पर केंद्रित है। गांव हमारी जीवन रेखा हैं। और जिस तरह सरकार द्वारा खेती में बदलाव लाने की पहल की गई है, अगर ईमानदारी से उन योजनाओं को लागू किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परिणाम देखने को जरूर मिलना चाहिए।

ससेक्स विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे जाने–माने अर्थशास्त्री प्रो. माइकल लिप्टन ने लगभग दो दशक पहले कहा था कि "तीसरी दुनिया के देशों में एक प्रवृत्ति आम है कि वहां के शहरी मध्यमवर्ग के लोग भी गांव के गरीबों के समान सब्सिडी चाहते हैं"। भारत में भी दूसरे विकासशील देशों की तरह कृषि और ग्रामीण विकास को दरकिनार करते हुए इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है और विकास के पश्चिम मॉडल को अपनाया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक गलत रणनीति है, क्योंकि देश के पास खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग की भरपूर क्षमता है, जहां अपेक्षाकृत रोजगार क्षमता अधिक है। कुछ इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व वित्तमंत्री और मानव विकास रिपोर्ट के प्रस्तोता स्व. महबूब–उल–हक ने ठीक ही कहा था "विकास की मूल अवधारणा बहुत ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद का स्तर नहीं है, हालांकि यह महत्वपूर्ण है लेकिन एक अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए जहां लोग लंबे समय तक आनंद उठा सकें, स्वस्थ रहें और रचनात्मक जीवन जी सकें। वास्तव में यही वाजिब दृष्टिकोण है लेकिन तीसरी दुनिया के देश गांव में खेती पर निर्भर सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के जीवन की परवाह किए बिना उच्च विकास दर के दलदल में फंस गए हैं।

खाद्य सुरक्षा, सतत् कृषि और गरीबी उन्मूलन की दिशा में जमीनी विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि और उद्योग तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन लाया जा सकता है। इस क्षेत्र में सोच–समझ कर रणनीति बनाई जानी चाहिए–यहां करोड़पतियों, गरीबों और वंचितों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इस तरह आने वाले सालों में कृषि क्षेत्र में पुनरुद्धार तथा ग्रामीण भारत में बदलाव की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

(लेखक जाने–माने पत्रकार हैं और विकास व पर्यावरण विषय के ज्ञाता हैं **तथा सहज ई–विलेज लिमिटेड** में सीनियर कंसल्टेंट हैं। **साथ ही कई गैर–सरकारी संगठनों से संबद्ध हैं तथा राज्य पर्यावास एवं पर्यावरण फोरम** (SHEF) के सचिव भी हैं।)
ई–मेलः dhurjatimukherjee54@gmail.com
अनुवादः संजीव श्रीवास्तव